भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 256*
दिनांक 13.03.2018/22 फाल्गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए

महिला पुलिस कार्मिकों का कथित यौन उत्पीड़न

†*256. श्रीमती कोथापल्ली गीताः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली पुलिस में महिला पुलिस कार्मिकों के एक समूह ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या अब तक कोई कानूनी कार्रवाई की गई है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) दिल्ली पुलिस में महिला पुलिस कार्मिकों को इस प्रकार के उत्पीड़न से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 13.03.2018 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 256 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि विगत तीन वर्षों के दौरान एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस के प्रोविजनिंग एवं लॉजिस्टिक्स यूनिट में तैनात महिला पुलिस कर्मियों के एक ग्रुप ने अपने निरीक्षक के विरूद्ध शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर, निरीक्षक के विरूद्ध विभागीय जांच शुरू की गई है।

(घ): दिल्ली पुलिस में 'केंद्रीय आंतरिक शिकायत समिति' कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के कथित मामलों की जांच करने के लिए सभी जिलों/यूनिटों में "आंतरिक शिकायत समितियां" गठित की गई हैं।